बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं0–05 / स्था0–146 / 2007 परि0– / पटना,दिनांक–

प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 213 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजेन्द्र राम, अपर समाहर्ता, विभागीय जांच, पूर्णियॉ प्रमंडल पूर्णियॉ को, संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णियॉ का पदभार दिनांक 16.01.2013 के अपराह्न में ग्रहण करने के फलस्वरूप अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित करते हुए अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पूर्णियॉ के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 637 दिनांक 25/2/2013

प्रतिलिपिः– अधीक्षक–राजकीय मुद्रणालय, गुलजाबाग पटना, राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित / महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियॉ / जिला पदाधिकारी, पूर्णियॉ / श्री राजेन्द्र राम, अपर समाहर्ता विभागीय जांच, पूर्णियॉ प्रमंडल पूर्णियॉ / संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णियॉ प्रमंडल पूर्णियॉ / जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णियॉ, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज / मोटरयान निरीक्षक, पूर्णियॉ, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज / माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के सचिव, परिवहन विभाग / सभी विभागीय पदाधिकारी / आई.टी. मैनेजर कम्प्यूटर कोषांग परिवहन विभाग / स्थापना शाखा, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

RVNAND-P-21